



राज्यपाल सचिवालय, बिहार  
राजभवन, पटना-800022

पत्रांक:-बी.एस.यू.(एफ.ए.)-37 / 2018-370 / रा.स.(1),

दिनांक-11.03.2023

प्रेषक,

रॉबर्ट एल. चोंगथू, भा.प्र.से.  
राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति  
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय,  
भागलपुर।

विषय:- वित्तीय परामर्शी के कार्य एवं कर्तव्य निर्वहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- राज्यपाल सचिवालय, पटना द्वारा निर्गत आदेश BSU(F.A.)-37/2018-280/GS(I), dated-15-02-2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्री कैलाश राम, वित्तीय परामर्शी, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार) के सभी कार्यों पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह./-

(रॉबर्ट एल. चोंगथू)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

दिनांक-11.03.2023

ज्ञापांक:- बी.एस.यू.(एफ.ए.)-37 / 2018-370 / रा.स.(1),

प्रतिलिपि:-श्री कैलाश राम, वित्तीय परामर्शी(अतिरिक्त प्रभार), तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर/कुलसचिव, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को सूचना एवं तत्काल प्रभाव से अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह./-

राज्यपाल के प्रधान सचिव

दिनांक-11.03.2023

ज्ञापांक:-बी.एस.यू.(एफ.ए.)-37 / 2018-370 / रा.स.(1),

प्रतिलिपि:-विशेष पदाधिकारी(वि.वि.)/प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ/सहायक निदेशक(NIC) को राज्यपाल सचिवालय के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु/गार्ड फाईल।

राज्यपाल के प्रधान सचिव